



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-26.04.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-219/2022 धारा 376-AB भा0द0वि0 व 5m/6 पॉक्सो एक्ट, मु.नं.-810/2022 से सम्बन्धित अभियुक्त 1-तिलकूराम पुत्र स्व0 सहदेव निवासी-गोबरहां, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मानिटारिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त तिलकूराम उपरोक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 5m/6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी